भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3079

दिनांक 22 मार्च, 2022/01 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

एकीकृत चैक-पोस्ट

†3079. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिली में एक एकीकृत जांच चौकी सहित देश में 10 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) को विकसित करने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट (डीईआर) तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) ने इस हेतु पश्चिम बंगाल में हिली में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और डीईआर जमा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की समय-सीमा क्या है;

(घ) पश्चिम बंगाल के हिली सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित किए जा रहे आईसीपी की वर्तमान स्थिति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में आईसीपी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशिथ प्रामाणिक)

(क): भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिली में एक एकीकृत जांच चौकी सहित 10 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने और विस्तृत इंजीनियंरिग रिपोर्ट (डीईआर) तैयार करने हेतु "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया है।

(ख) और (ग): हिली सहित सात चिन्हित स्थानों पर भूमि के यथाशीघ्र अधिग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है। तथापि, भूमि का अधिग्रहण अब तक नहीं हो पाया है।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा भूमि अधिग्रहण के अभाव में डीईआर तैयार नहीं किया गया है।

(घ): निर्माण के विभिन्न चरणों के अंतर्गत आईसीपी की वर्तमान स्थिति और उसका ब्यौरा सीमा-वार एवं राज्य-वार अनुलग्नक -"क" में दिया गया है।

(ङ): द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक सेवाओं के एग्रीगेटर और फेसिलिटेटर के रूप में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण आईसीपी पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है, जो निम्नानुसार हैं:

व्यापार के लिए: कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग; चालकों के लिए आप्रवासन निकासी काउंटर; आयात और निर्यात वेयरहाउस; कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, सीमा शुल्क निकासी काउंटर; तलाशी (रमेजिंग) शेड; निरीक्षण शेड; चालक विश्राम कक्ष; कार्गो वाहन पार्किंग की सुविधाएं; क्वारंटीन बिल्डिंग आदि।

यात्रियों के लिए: यात्री टर्मिनल बिल्डिंग; आप्रवासन निकासी काउंटर; जन सुविधा कैफेटेरिया; यात्री शयन कक्ष; चिकित्सा कक्ष; विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर, शुल्क-मुक्त दुकान आदि।

सुरक्षा बलों के लिए: इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण, सुरक्षा और निगरानी गैजेट, सीमा रक्षक बल आवास आदि।

(च): आईसीपी के सुदृढ़ीकरण के लिए, सरकार ने फुल बॉडी ट्रक स्कैनर (एफबीटीएस) तथा रेडिएशन डिटेक्शन उपकरण स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मौजूदा सुविधाओं की निरंतर समीक्षा करता है और आईसीपी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ यात्रियों के आवागमन तथा व्यापर को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बनाता है। समीक्षाओं के आधार पर, विशिष्ट आईसीपी की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं के स्तरोन्नयन हेतु एलपीएआई के स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

****

लोक सभा अता. प्र. सं. 3079 दिनांक 22.03.2022

अनुलग्नक-क

सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की जा रही आईसीपी का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	राज्य	सीमा	स्थिति
1.	दवकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
2.	रूपैडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
3.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	एलपीएआई को भूमि हस्तांतरित करने का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है।
4.	सुतारकंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	दिनांक 07.09.2019 से 23.496 एकड़ भूमि पर सीमा व्यापार केंद्र (बीटीसी) 1 एवं 2 से आईसीपी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। सुतारकंडी में आईसीपी के निर्माण हेतु, कुल लगभग 85 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अभी तक, राज्य सरकार ने बीटीसी 1 एवं 2 की भूमि सहित 35.016 एकड़ भूमि हस्तांतरित की है।
5.	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	भूमि का अधिग्रहण अब तक नहीं हो पाया है।
6.	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	
7.	जयगांव	पश्चिम बंगाल	भारत-भूटान	
8.	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	भारत-नेपाल	
9.	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	
10.	महादीपुर	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	
11.	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	
12.	कवरपुइछुआ	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	निर्माण-पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
13.	बनबसा	उत्तराखंड	भारत-नेपाल	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत को दिसम्बर, 2021 में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
14.	भीटामोड़	बिहार	भारत-नेपाल	भूमि हेतु भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाना है।
15	सबरूम	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। निर्माण कार्य शुरू।

****